कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: फा. 15(1)(5)सविरा / नियम / पीएलडीबी उपनियम / 37 पार्ट–4 दिनांक 21/4/14

उप / सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ,
..........................खण्ड

विषय : प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के आदर्श उपनियम।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक (मोनेटरिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर।
6. अतिरिक्त / संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, (समस्त)
7. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के आदर्श उपनियमों में संशोधन

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	नाम, पता, पंजीयन :– (क) इस बैंक का नाम ....सहकारी भूमि विकास बैंक लि. .... होगा, इसका पंजीकृत कार्यालय का पता .... तहसील .... जिला होगा। (ख) बैंक का कार्यक्षेत्र इन उपनियमों के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार .... जिले के .... तहसील के समस्त शहरों, ग्रामों एवं ढाणियों तक सीमित होगा।	नाम, पता, पंजीयन :– (क) इस बैंक का नाम ....जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. .... होगा, इसका पंजीकृत कार्यालय का पता ....तहसील .... जिला होगा। (ख) बैंक का कार्यक्षेत्र इन उपनियमों के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार .... जिले के .... तहसील के समस्त शहरों, ग्रामों एवं ढाणियों तक सीमित होगा।
2(2)	उद्देश्य:– नाबार्ड/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में सदस्यों /गैर सदस्यों से अमानतें (डिपोजिट्स) प्राप्त करना।	उद्देश्य:– नाबार्ड/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में सदस्यों /गैर सदस्यों से अमानतें (डिपोजिट्स) प्राप्त करना एवं सदस्यों से सावधि जमाएँ प्राप्त करना।
3(अ)(5)	कोई प्रावधान नहीं	सावधि जमाएँ:–
4 (1)	हिस्सा पूंजी:– "अ" श्रेणी का प्रत्येक 100/– रू. का होगा जो बैंक के कार्यक्षेत्र के कृषकों/लघु उद्यमियों/दस्तकारों को ही दिये जाएंगे। अवयस्क व्यक्ति अपने कानूनी संरक्षक द्वारा सदस्य बनाया जा सकेगा। बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थित सहकारी कृषि फार्मिंग एवं कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां भी "अ" श्रेणी के हिस्से लेने के लिए अधिकृत होंगी। कृषि उपज मण्डी समितियां मात्र एक हिस्सा क्रय करके "अ" श्रेणी की सदस्य बन सकेंगी।	हिस्सा पूंजी:– "अ" श्रेणी का प्रत्येक हिस्सा 100/– रू. का होगा जो बैंक के कार्यक्षेत्र के कृषकों/लघु उद्यमियों/दस्तकारों एवं बैंक के ऋणियों को ही दिये जाएंगे। अवयस्क व्यक्ति अपने कानूनी संरक्षक द्वारा सदस्य बनाया जा सकेगा। बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थित सहकारी कृषि फार्मिंग एवं कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां भी "अ" श्रेणी के हिस्से लेने के लिए अधिकृत होंगी। कृषि उपज मण्डी समितियां मात्र एक हिस्सा क्रय करके "अ" श्रेणी की सदस्य बन सकेंगी।
6.(ब)	हिस्सों का हस्तान्तरण:– बैंक का कोई भी सदस्य, यदि वह स्वयं बैंक का ऋणी नहीं है। अथवा किसी दूसरे ऋणी सदस्य का जामिन नहीं है तो एक माह का नोटिस देकर सदस्यता से पृथक होने पर उसे हिस्सा राशि लोटाई जा सकेगी प्रत्येक सदस्य सदस्यता स्वीकार करने के उपरान्त जमा हिस्सा राशि का हिस्सा प्रमाण–पत्र बैंक द्वारा सचिव एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से तीन माह की अवधि में जारी किया जायेगा। प्रमाण पत्र खो जाने, नष्ट हो जाने की स्थिति मे संचालक मण्डल की सन्तुष्टि पर डुप्लीकेट प्रमाण पत्र सदस्य द्वारा 10/– रू. का शुल्क जमा कराये जाने पर जारी किया जा सकेगा।	हिस्सों का हस्तान्तरण:– बैंक का कोई भी सदस्य, यदि वह स्वयं बैंक का ऋणी नहीं है। अथवा किसी दूसरे ऋणी सदस्य का जमानतदार नहीं है तो एक माह का नोटिस देकर निर्धारित प्रक्रिया से सदस्यता से पृथक होने पर उसे हिस्सा राशि लोटाई जा सकेगी प्रत्येक सदस्य सदस्यता स्वीकार करने के उपरान्त जमा हिस्सा राशि का हिस्सा प्रमाण–पत्र बैंक द्वारा सचिव एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से तीन माह की अवधि में जारी किया जायेगा। प्रमाण पत्र खो जाने, नष्ट हो जाने की स्थिति में संचालक मण्डल की सन्तुष्टि पर डुप्लीकेट हिस्सा प्रमाण पत्र सदस्य द्वारा 10/– रू. का शुल्क जमा कराये जाने पर जारी किया जा सकेगा। ऋणी को लौटाई गई हिस्सा राशि/ उसके ऋण खाते में समायोजित हिस्सा राशि के बराबर राशि का हिस्सा प्रमाण पत्र यदि ऋणी द्वारा वापस नहीं लौटाया जाता है तो ऐसा हिस्सा प्रमाण पत्र एतदानुसार लौटाने या समायोजन की तिथि से स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी होगा।
(स)	"अ" श्रेणी के सदस्यों द्वारा अपने ऋण खाते की समस्त ऋण राशि चुकाने पर उसकी जमा अतिरिक्त हिस्सा पूंजी की राशि, सदस्य की मांग पर उसे वापिस लौटाई जा सकेगी।	"अ" श्रेणी के सदस्यों द्वारा अपने ऋण खाते की समस्त ऋण राशि चुकाने पर उसकी जमा अतिरिक्त हिस्सा पूंजी की राशि, सदस्य की मांग पर उसे वापिस लौटाई जा सकेगी/ समायोजित की जा सकेगी।
9	सदस्य का उत्तरदायित्व :– प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व बैंक को भंग किये जाने की स्थिति में बैंक की पूंजी के घाटे को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्से की बिना चुकायी गई एवं प्रदत्त हिस्सा राशि के पांच गुणा तक सीमित होगा।	सदस्य का उत्तरदायित्व :– 1. प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व बैंक को भंग किये जाने की स्थिति में अथवा बैंक को हानि की स्थिति में बैंक की पूंजी के घाटे को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्से की बिना चुकायी गई एवं प्रदत्त हिस्सा राशि के पांच गुणा तक सीमित होगा। 2. बैंक की देयताओं का समय पर चुकारा करना।

45/

		3. बैंक ऋण का समय पर मय ब्याज भुगतान करना। 4. बैंक के पक्ष में दी गई गारन्टी का निर्वहन करना। 5. बैंक की गोपनीयता को बनाये रखना। 6. ऐसा कोई कार्य न करना जिससे बैंक की साख को बट्टा लगे या बैंक का अहित हो। 7. बैंक के लिए अपमानजनक या अहितकारी कार्य नहीं करना। 8. बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई सम्पत्ति की उचित देखभाल करना व बैंक द्वारा उसको विक्रय करने पर बैंक को सहयोग करना। 9. बैंक को उपलब्ध कराये गये स्वयं के पते में परिवर्तन करने पर इसकी सूचना देना। 10. बैंक से लेनदेन के समय इन्द्राज हेतु पास बुक उपलब्ध करना।
10.	बैंक की अधिकतम ऋण सीमा :– उप नियम 2 के अन्तर्गत सदस्य को बैंक द्वारा दिये गये ऋण के संबंध में अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर बैंक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर से धारा 67 के अन्तर्गत वर्णित उद्देश्यों हेतु प्राप्त कर सकेगा। बैंक द्वारा प्राप्त ऋण किसी भी समय बैंक की अधिकतम ऋण सीमा जो कि नियम 63 के अनुसार निर्धारित है, से अधिक नहीं होगा। नियम 63 के अनुसार भूमि विकास बैंक के संबंध में इनके द्वारा एकत्रित हिस्सा राशि रिजर्व फण्ड, अन्य फण्ड से हानि की राशि कम करने के पश्चात् 20 गुणा तक सीमित होगी।	बैंक की अधिकतम ऋण सीमा :– उप नियम 2 के अन्तर्गत सदस्य को बैंक द्वारा दिये गये ऋण के संबंध में अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर बैंक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर से धारा 67 के अन्तर्गत वर्णित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त कर सकेगा। बैंक द्वारा प्राप्त ऋण किसी भी समय बैंक की अधिकतम ऋण सीमा जो कि नियम 63 के अनुसार निर्धारित है, से अधिक नहीं होगा। नियम 63 के अनुसार भूमि विकास बैंक के संबंध में इनके द्वारा एकत्रित हिस्सा राशि संचित आरक्षित तथा भवन निधियों की कुल रकम में से संचित हानियों राशि कम करने के पश्चात् शेष रकम के 20 गुणा तक सीमित होगी।
14.	सदस्यता से पृथक करना :– निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी सदस्य को सदस्यता से पृथक किया जा सकेगा :– 1. कोई भी सदस्य जो लगातार बैंक द्वारा लिये गये ऋण या अन्य बकाया के संबंध में चुक करे। 2. उपनियमों के अन्तर्गत सदस्यता के लिए निर्धारित उत्तर दायित्व की पालना करने में असफल रहे। 3. प्रबन्धकारिणी की राय में उस सदस्य ने बैंक के लिये अपमानजनक या कोई अहितकारी कार्य किया हो। 4. सदस्य ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया हो और उसका त्यागपत्र प्रबन्धकारिणी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हो। 5. सदस्य की मृत्यु हो गई हो या सदस्य के समस्त हिस्से किसी अन्य को स्थानान्तरित कर दिये गये हो।	सदस्यता से पृथक करना :– निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी सदस्य को सदस्यता से पृथक किया जा सकेगा :– 1. ऐसे सदस्य, जो बैंक की बकाया के सम्बन्ध में चूक करे, ऐसे सदस्य से समस्त वसूली योग्य राशि वसूल करने के उपरान्त उसे सदस्यता से पृथक किया जा सकेगा। 2. यदि सदस्य उपनियमों के अन्तर्गत सदस्यता के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों की पालना करने में असफल रहे। 3. प्रबन्धकारिणी की राय में उस सदस्य ने बैंक के लिये अपमानजनक या कोई अहितकारी कार्य किया हो। 4. सदस्य ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया हो और उसका त्यागपत्र प्रबन्धकारिणी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हो। 5. सदस्य की मृत्यु हो गई हो या सदस्य के समस्त हिस्से किसी अन्य सदस्य/सदस्यों को स्थानान्तरित कर दिये गये हो।

५४।

17.(अ)	साधारण सभा:– (अ) साधारण सभा में निम्न व्यक्ति सम्मिलित होंगे : 1 संचालक मंडल के मनोनीत सदस्य 2. उप नियम संख्या 12 के अनुसार "अ" एवं "ब" श्रेणी के सदस्य ही साधारण सभा के सदस्य होंगे।	साधारण सभा :– (अ) साधारण सभा में निम्न व्यक्ति सम्मिलित होंगे :– 1. संचालक मंडल के मनोनीत सदस्य 2. उप नियम संख्या 12 के अनुसार 'अ' एवं "ब" श्रेणी के सदस्य अथवा लघुत्तर साधारण निकाय के लिए निर्वाचित सदस्य। 3. बैंक का सचिव। 4. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि। 5. नाबार्ड का प्रतिनिधि। 6. बैंक की तत्संबंधी ऑडिट करने वाला ऑडिटर। निर्णय हेतु मत देने का अधिकार "अ" व "ब" श्रेणी के सदस्यों/ लघुत्तर साधारण निकाय के निर्वाचित सदस्यों एवं बैंक के सचिव को ही होगा।
(ब)	(ब) बैंक अपनी वार्षिक खाताबंदी के पश्चात् वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु निर्धारित समय के 3 माह के अन्दर–अन्दर वार्षिक साधारण सभा आमंत्रित करेगा। साधारण सभा संचालक मंडल की आज्ञा से बैंक के सचिव द्वारा बुलाई जायेगी। जो कि साधारण सभा में उपस्थित हो सकेंगे। साधारण सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी। यदि दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित अध्यक्ष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा।	बैंक अपनी वार्षिक खाताबंदी के पश्चात् वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर–अन्दर वार्षिक साधारण सभा आमंत्रित करेगा। साधारण सभा संचालक मंडल की आज्ञा से बैंक के सचिव द्वारा बुलाई जावेगी। जो कि साधारण सभा में उपस्थित हो सकेंगे। साधारण सभा की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जावेगी। यदि दोनों ही अनुपस्थित रहते है तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप मे निर्वाचित किया जाएगा एवं ऐसा निर्वाचित अध्यक्ष उस साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा।
21 (7)	साधारण सभा का संचालन– अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य, जो उस दिन सभापति के लिये चुना गया हो, गण पूर्ति के अभाव में सभा आगामी सप्ताह के उसी दिन उसी समय व उसी स्थान के लिए निम्न स्थितियों में स्थगित कर देगा, जिसमें गण पूर्ति होना आवश्यक नहीं होगी– 1. यदि उस सभा के निश्चित समय के एक घंटे तक गणपूर्ति न हो या 2. यदि सभा के कार्यवाही के मध्य अपेक्षित गण पूर्ति कम होने का ज्ञान हो जाए।	साधारण सभा का संचालन:– अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य, जो उस दिन अध्यक्षता के लिये चुना गया हो, गणपूर्ति के अभाव में सात दिन या उसी दिन के किसी पश्चात्वर्ती समय के लिए निम्न स्थितियों में स्थगित कर देगा, जिसमें गण पूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा:– 1. यदि उस सभा के निश्चित समय के पश्चात् एक घंटे तक गणपूर्ति न हो या 2. यदि सभा के कार्यवाही के मध्य अपेक्षित गण पूर्ति कम होने का ज्ञान हो जाए।
22स.(4)	साधारण सभा के अधिकार:– वैधानिक जांच, पंजीयक या अंकेक्षक के अंकेक्षण पर विचार, ऑडिट रिपोर्ट का निस्तारण।	साधारण सभा के अधिकार:– धारा 54 के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित पैनल में से अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
22स.(12)	पुराने वर्ष की ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति एवं वर्तमान वर्ष के ऑडिट आक्षेपों पर विचार।	ऑडिट रिपोर्ट व वार्षिक ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट पर विचार व इसको स्वीकृत व अनुमोदित करना।

23.	संचालक मण्डल :– (1) समय समय पर साधारण सभा द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार बैंक के कार्य संचालन का भार संचालक पर होगा जिसमें 11 निर्वाचित सदस्य होंगे। (2) इस उपनियम के चरण (3) व (4) में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त संचालक मण्डल के सदस्यों की सेवायें निशुल्क होगी। (3) संचालक मण्डल के सदस्य प्रत्येक बैठक में सम्मिलित होने का अधिक से अधिक 100/–रु. शुल्क ले सकेंगे। बैंक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि साधारण सभा इससे अधिक शुल्क निर्धारित करती है तो इसकी लिखित स्वीकृति पंजीयक सहकारी समितियाँ राजस्थान से लिया जाना आवश्यक होगा। (4) साधारण सभा द्वारा निश्चित दर, जो पंजीयक, सहकारी विभाग स्वीकृत करेंगे, के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्य संचालक मण्डल की बैठक में सम्मिलित होने के लिये यात्रा व्यय, रहने हेतु रखी जाने वाली भूमि का मूल्यांकन करने एवं बैंक से संबंधित अन्य कार्य करने के संबंध में होने वाले मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता भी ले सकेंगे।	संचालक मण्डल :– (1) समय समय पर साधारण सभा द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार बैंक के कार्य संचालन का भार संचालक मण्डल पर होगा जिसमें 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। (2) इस उपनियम के चरण (3) व (4) में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त संचालक मण्डल के सदस्यों की सेवायें निशुल्क होगी। (3) संचालक मण्डल के सदस्य प्रत्येक बैठक में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क ले सकेंगे। बैंक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि साधारण सभा अधिक शुल्क निर्धारित करती है तो इसकी लिखित स्वीकृति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान से लिया जाना आवश्यक होगा (4) साधारण सभा द्वारा निर्धारित दर, जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान स्वीकृत करेंगे, के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्य संचालक मण्डल की बैठक में सम्मिलित होने के लिये यात्रा व्यय, एवं बैंक से संबंधित अन्य कार्य करने के संबंध में होने वाला मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता इत्यादि भी ले सकेंगे।
24.	संचालक मण्डल का गठन– बैंक के संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से होगा :– (1) बैंक के संचालक मण्डल में कुल 15 सदस्य होंगे। (क) बैंक के 'अ' श्रेणी के सदस्यों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित – 11 (ख) राज्य सरकार या इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मनोनीत – 3 (ग) सचिव बैंक – पदेन सचिव – 1 (2) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. एवं नाबार्ड से एक–एक अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा, जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। (3) 'अ' श्रेणी के सदस्यों के प्रतिनिधियों में से संचालक मण्डल में एक स्थान अनु.जाति, एक स्थान अनु. जनजाति, एक स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से पूर्वोक्त वर्गों के सदस्य पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते हैं या उनमें कोई रिक्त हो जाती है तो पूर्वोक्त वर्गों के किसी सदस्य की कमी या रिक्त ऐसी सोसायटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गों के सदस्यों में से सहवरण द्वारा पूरी की या यथा स्थिति भरी जायेगी।	संचालक मण्डल का गठन– बैंक के संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से होगा :– (1) बैंक के संचालक मण्डल में कुल 16 सदस्य होंगे। (क) बैंक के 'अ' श्रेणी के सदस्यों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित – 12 (ख) राज्य सरकार या इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मनोनीत – 3 (ग) सचिव बैंक – पदेन सचिव – 1 संचालक मण्डल में सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 हो सकेगी, जिन्हें मत देने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त समिति बैंककारी, प्रबन्धन और वित्त क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसायटी के उद्देश्यों और उसके द्वारा किये जानेवाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम दो सदस्यों को समिति में सहयोजित कर सकेगी जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। (2) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. एवं नाबार्ड से एक–एक अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा, जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। (3) 'अ' श्रेणी के सदस्यों के प्रतिनिधियों में से संचालक मण्डल में यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हो तो एक स्थान अनुसूचित जाति, एक स्थान अनुसूचित जनजाति, एवं दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से पूर्वोक्त वर्गों के सदस्य पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते हैं या उनमें कोई आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो गयी हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जायेगी। जिसके अनुसार रिक्त पदों को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधी के आधे से कम है।

		किन्तु यदि मूल पदावधी आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम निर्देशन या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। इस रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करने का दायित्व प्रबन्ध संचालक का होगा किन्तु ऐसे किसी सदस्य का सहवरण नहीं किया जावेगा, जो बैंक की उपविधियों के अनुसार निर्योग्यता की श्रेणी में आता हो। रिक्त हो जाती है तो पूर्वोक्त वर्गो के किसी सदस्य की कमी या रिक्त ऐसी सोसायटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गो के सदस्यों में से सहवरण द्वारा पूरी की या यथा स्थिति भरी जावेगी।
25.	संचालक मण्डल के सदस्यों की योग्यता एवं अयोग्यता :– (अ) कोई व्यक्ति बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य चुना जाने या मनोनीत–सहवरित किये जाने योग्य नहीं समझा जायेगा यदि :– 1. उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो 2. वह दिवालिया होने का प्रार्थी हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। 3. उसने राजनैतिक अपराध अथवा अनैतिकता के अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध में कारावास या दण्ड पाया हो और कारावास का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द न किया गया हो या अपराध क्षमा न किया गया हो। 4. वह पागल, बहरा, गूंगा, या कोढी हो। 5. वह किसी भी सरकारी संस्था का वैतनिक कर्मचारी हो। 6. इस बैंक या अन्य किसी भी सहकारी समिति जिससे उसने ऋण ले रखा हो का ऋण समय पर न चुकाया हो। 7. उसने बैंक का ऋण नहीं लिया हो। 8. वह स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य (परिवार की परिभाषा धारा 2 (ड) के स्पष्टीकरण के अनुसार होगी) द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के साथ किए गए निर्वाह ठेके या बैंक द्वारा बेची या खरीदी गई सम्पत्ति में या बैंक के किसी अन्य प्रकार के लेनदेन में केवल बैंक से लिए गए किसी ऋण को छोडकर रूचि दिखाई हो। (ब) संचालक मण्डल का कोई सदस्य संचालक मण्डल से पृथक समझा जायेगा यदि :– 1. वह बैंक का सदस्य नहीं रहे। 2. वह दिवालिया बनने का प्रार्थी हो या दिवालिया घोषित हो चुका हो। 3. चरण (ब) के उपचरण (3) में वर्णित अपराध के फलस्वरूप कारावास या दण्ड पा चुका हो। 4. पागल, बहरा, गूंगा व कोढी हो गया हो। 5. वह किसी भी सहकारी संस्था का वैतनिक कर्मचारी हो। 6. इस बैंक का ऋण या अन्य समितियों, जिनसे उसने ऋण ले रखा हो, समय पर भुगतान नहीं करता हो 7. उसने संचालक मण्डल से त्याग पत्र देने की सूचना संचालक मण्डल को दी हो तथा उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो गया हो, किन्तु शर्त यह है कि चरण (3) के अन्तर्गत पृथक समझा गया व्यक्ति उस	संचालक मण्डल के सदस्यों की योग्यता एवं अयोग्यता :– (अ) कोई व्यक्ति बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य चुना जाने या मनोनीत–सहवरित किये जाने योग्य नहीं होगा :– 1. उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो 2. वह दिवालिया होने का प्रार्थी हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। 3. वह पागल घोषित कर दिया गया हो। 4. वह किसी भी सरकार (केन्द्र अथवा राज्य) या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या किसी सहकारी संस्था का वैतनिक कर्मचारी हो। 5. उसने इस बैंक या अन्य किसी भी सहकारी समिति का, जिससे उसने ऋण ले रखा हो, ऋण समय पर न चुकाया हो और ऐसा ऋण तीन माह से अधिक समय का अवधिपार हो चुका हो। 6. उसने निर्वाचन की तिथि के वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल से तुरन्त पूर्वसमाप्त हुए दो वर्ष की अवधि में बैंक से ऋण न लिया हो (यहाँ ऋण लेने का तात्पर्य होगा– इस अवधि में ऋण या ऋण की किस्त का बैंक से आहरण किया गया हो, ऋण स्वीकृति की तारीख ऋण लेने की तारीख नहीं मानी जाएगी। 7. वह स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य (परिवार की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 (ड) के अनुसार होगी) ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के साथ किए गए करार, ठेके या बैंक द्वारा बेची या खरीदी गई सम्पत्ति में या बैंक के किसी अन्य प्रकार के लेनदेन में,केवल बैंक से लिए गए किसी ऋण को छोडकर भाग लिया हो। परन्तु बैंक द्वारा की गई किसी भी सार्वजनिक नीलामी में भाग लेकर बैंक द्वारा बेची गई सम्पत्ति क्रय करने पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। (ब) संचालक मण्डल का कोई सदस्य संचालक मण्डल से पृथक समझा जावेगा यदि :– 1. वह बैंक का सदस्य नहीं रहे। 2. वह दिवालिया बनने का प्रार्थी हो या दिवालिया घोषित हो चुका हो। 3. वह पागल घोषित हो गया हो। 4. वह किसी भी सरकार (केन्द्र अथवा राज्य) या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या किसी सहकारी संस्था का वैतनिक कर्मचारी हो या बन गया हो। 5. वह इस बैंक का ऋण या अन्य किसी सहकारी समिति, जिससे उसने ऋण ले रखा हो का समय पर भुगतान नहीं करता हो और ऐसा ऋण तीन माह से अधिक समय का अवधिपार चुका हो। 6. उसने संचालक मण्डल से त्यागपत्र देने की सूचना संचालक मण्डल को दी हो। 7. वह राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 अथवा नियम 2003 में वर्णित किसी भी अयोग्यता से ग्रसित हो गया हो

	शेष अवधि के लिये पुनः सदस्य बन जायेगा कि जिसके लिए वह मूलतः नियुक्त किया गया था यदि कारावास का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाय और उसके रिक्त स्थान पर अंतरिम काल में निर्वाचित व्यक्ति को पृथक होना होगा। 8. अन्य अयोग्यतायें जो धारा 28 एवं नियम 34 में वर्णित से ग्रसित हो गया हो, वह पृथक समझा जायेगा।	8. वह उपनियमों में वर्णित कर्तव्यों की पालना करने में असमर्थ रहे। 9. पृथक्करण का आदेश अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया जाएगा।
26.(3)	संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल :- संचालक मण्डल में प्रत्येक ग्राम समूह में से चुने गये सदस्य के अन्तरिम रिक्त स्थान की पूर्ति संचालक मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा संबंधित क्षेत्र के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा की जावेगी इस प्रकार सहयोजित सदस्य आगामी वार्षिक अधिवेशन के समय अवकाश ग्रहण करेगा और वार्षिक अधिवेशन से संबंधित क्षेत्र के कि जिसका स्थान मूलतः रिक्त हुआ था, सदस्यों में से अवशेष अवधि हेतु सदस्य को निर्वाचित किया जायेगा। मनोनीत सदस्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति राजस्थान सरकार अथवा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अथवा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा की जावेगी।	संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल :- संचालक मण्डल में प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27 (4) के प्रावधानानुसार नामनिर्देशक से की जावेगी, यदि संचालक मण्डल की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम हो। किन्तु यदि मूल पदावधि आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नामनिर्देशक या यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। मनोनित सदस्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति राजस्थान सरकार अथवा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा की जाएगी।
27.(16)	कोई प्रावधान नहीं।	संचालक मण्डल के अधिकार:- जब तक नियुक्ति की शर्तों में अन्यथा प्रावधान न हो, बैंक का कोई कर्मचारी, जिसे संचालक मण्डल नियुक्त ने नियुक्त किया हो,निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाओं से पृथक किया जाना।
27.(द)13	कोई प्रावधान नहीं।	बैंक के खारिज योग्य सामान को नियमानुसार खारिज करने की स्वीकृति देना।
(द)14	कोई प्रावधान नहीं।	बैंक की तिजोरी में रखने वाली रोकड़ की राशि की सीमा समय-समय पर निर्धारित करना।
28.(ब)	संचालक मण्डल की बैठक :- संचालक मण्डल की गणपूर्ति 6 सदस्यों की होगी, किन्तु यदि संचालक मण्डल की बैठक पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु आहूत की गई है तो प्रबन्ध समिति की ऐसी बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा।	संचालक मण्डल की बैठक :- संचालक मण्डल की गणपूर्ति आधे से एक अधिक सदस्यों की होगी, किन्तु यदि संचालक मण्डल की बैठक पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु आहूत की गई है तो ऐसी बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं होगा।

30.(3)	सचिव के कर्तव्य:— बैंक की ओर से या बैंक पर मुकदमा सचिव के नाम से दायर होगा और बैंक के पक्ष में समस्त लेखा पत्र (दस्तावेजात) सचिव के नाम पर होंगे।	सचिव के कर्तव्य:— बैंक की ओर से या बैंक पर सिविल मुकदमे सामान्यतः सचिव के नाम से दायर होंगे और बैंक के पक्ष में समस्त लेखा पत्र (दस्तावेजात) सचिव के नाम पर होंगे परन्तु ऋण वसूली की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रकरणों में, बैंक के साथ किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी होने के प्रकरणों में एवं निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के तहत मुकदमें सीधे बैंक के सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा भी दायर करवाये जा सकेंगे। बैंक के सचिव द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में बैंक के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा एवं बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई मुकदमा दायर करने, किसी मुकदमें में पैरवी करने, दस्तावेज या साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने किसी भी न्यायालय में परीक्षा, प्रति–परीक्षा या पुनः परीक्षा में उपस्थित होने या अन्य विधिक कार्यवाहियों इत्यादि के लिये अधिकृत किया जा सकेगा अथवा इन कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा।
30.(6)	कोई प्रावधान नहीं।	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की कालावधि (30 सितम्बर तक) में बैंक का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराना।
30.(7)	कोई प्रावधान नहीं।	धारा 34(1) के प्रावधान अनुसार समिति और पदाधिकारियों के निर्वाचन के संचालन हेतु समिति की अवधि समाप्ति के 6 माह पूर्व निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित सूचना भेजेगा व आकस्मिक रिक्तियों की सूचना भेजेगा।
38(1)	ऋणों का हिस्सों से अनुपात :— 1. कोई सदस्य स्वयं द्वारा क्रय किए गए हिस्सों के 20 गुना से अधिक ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा परन्तु यह सीमा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा समय–समय पर परिवर्तित की जा सकेगी।	ऋणों का हिस्सों से अनुपात :— 1. ऋण लेने हेतु इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ऋण हेतु आवश्यक हिस्से क्रय करने होंगे। 2. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक भूमि बन्धक विकास बैंकों का सदस्य है, तो उसकी इन सभी बैंकों से उधार ली हुई राशि उसकी अधिकतम क्षमता या साख सीमा से, जो कि इस बैंक द्वारा निश्चित की गई है, अधिक नहीं होगी।
45.	कोई प्रावधान नहीं ।	संघ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर रजिस्ट्रार को निम्न लिखित विवरणीयां फाईल करेगी— 1. अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, 2. अपने लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण, 3. अधिशेष के व्ययन के लिए योजना जो सोसाइटी के साधारण निकाय के द्वारा अनुमोदित हो, 4. सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो की सूची, 5. साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा और, 6. ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करे।